04/7/25

आदेश

वाद सं. 65/25
BNSS 163

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कागज पत्रावली का अवलोकन करने, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन / अध्ययन करने, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वादग्रस्त भूमि गैर मजरूआ खाते की है और उभय पक्ष अलग - अलग राजस्व

जारी -

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
04/7/25	जारी 65/25 दस्तावेजों के आधार पर उक्त जमीन पर अपना - अपना दावा करते हैं। प्रथम पक्ष एक एग्रीमेन्ट के जरिए तथा द्वितीय पक्ष भुदान पर्चा के द्वारा उक्त भूमि पर दावा करते हैं। स्पष्टतया: मामला स्वत्व (Title) से संबंधित है। स्वत्व का निर्धारण/विवेचन अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अत: उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर मामले का निपटारा कर सकते हैं। साथ ही वाद में चूँकि अंचल अधिकारी बगोदर का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है एवं भूमि का किस्म गैरमजरुआ है अत: अंचल अधिकारी बगोदर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष के दावों तथा कायम जमाबन्दी की जारी —	

(2)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
04/7/25	जारी — वैधता की नियमानुसार सूक्ष्मता से जाँच कर विधिसम्मत कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। संस्थापित एवं संशोधित 04/7/25 SDM Bagodar-Sariya	04/7/25 SDM Bagodar Sariya.

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.08.25 13:35:00 +05:30
Location: 192.168.137.1